न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर
बइजलास सत्यवीर यादव, आर.ए.एस

प्रकरण सं. 17/16/अपील

मूल सिंह पुत्र हरि सिंह जाति राजपूत उम्र बालिक निवासी ग्राम सामी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

—अपीलांट

ब ना म

1. गोविन्दसिंह पुत्र हनुमान सिंह
2. इन्द्र सिंह } पुत्रगण स्व. हरि सिंह
3. विजय सिंह }
4. नादान सिंह }
5. चूप कंवर बेवा नारायण सिंह
6. दीप सिंह } पुत्रगण स्व. नारायण सिंह
7. बद्री सिंह }
8. राजेन्द्र सिंह }
9. अमर कंवर बेवा भैरू सिंह
10. रघुवीर सिंह } पुत्रगण स्व. भैरू सिंह
11. सागर सिंह }
12. अजीत सिंह }
13. आनन्द सिंह }

समस्त जाति राजपूत निवासीगण ग्राम सामी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

14. तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

— रेस्पोडेंट्स

अपील विरूद्ध ना.करण सं. 219 ग्राम पंचायत, सामी
अन्तर्गत धारा 75 लैण्ड रेवन्यू ऐक्ट

उपस्थिति—

1. श्री भंवरसिंह शेखावत वकील अपीलांट की ओर से
2. श्री आनन्द राड़ वकील रेस्पो. सं. 1 ता 13 की ओर से

निर्णय दिनांक— 11.02.2017

1. अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि अपीलांट व रेस्पो. सं0 1 ता 13 की पुश्तैनी कृषि भूमि खसरा नं. 174 रकबा 0.24 है0, 365 ता 370 कुल खसरा 5 रकबा 6.54 है0, खसरा नं. 186 ता 189 रकबा 5.90 है0, 146, 148 से 151 रकबा 1.58, 43, 44, 45, 464 रकबा 2.88 है0, 147/1010, 147/1111, 151/1012 रकबा 0.53 है0 वाके ग्राम सामी प.

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़

Scanned by CamScanner

में भगतपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की तन में अवस्थित है। जिसकी खातेदारी अपीलांट के दादा जसवंत सिंह के पूर्व में दर्ज थी। अपीलांट के दादा (जसवंत सिंह) के फौत होने पर उनके वारिस 1. हरिसिंह, 2. हनुमान सिंह 3. छोंग सिंह के नाम से ना.करण विरासत में भरा गया था, अपीलांट के चाचा (छोंग सिंह) अविवाहित फौत हो गये थे जिसका कोई वारिस नहीं होने पर उनकी खातेदारी कानूनी उनके बड़े भाई हरि सिंह व हनुमान सिंह के 1/2 व 1/2 हिस्से के आधार पर ना.करण दर्ज होना चाहिए था परन्तु रेस्पो. सं. 1 ग्राम पंचायत सामी के सरपंच से सांठ गांठ कर स्व. छोग सिंह का वारिस बनकर अपने अकेले के नाम0करण सं. 219 अपने नाम दर्ज करवा लिया, जबकि कानूनन स्व. छोंग सिंह का विरासत का ना.करण अपीलांट के पिता हरि सिंह व रेस्पो. सं. 1 के पिता हनुमान सिंह के नाम दर्ज ना करवा कर रेस्पो. सं. 1 ने छोग सिंह का अकेला वारिस बताकर गुप चुप में अपीलाधीन ना.करण सं. 219 सरपंच, ग्राम पं. सामी से तस्दीक कराकर खातेदारी अकेले ने प्राप्त कर अपीलांट के 1/2 भाग की भूमि से राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज करने से वंचित कर दिया जबकि अपीलांट के चाचा अविवाहित फौत हो चुके थे उपरोक्त जमीनों में कब्जा काश्त आराजियात 1/2 अपीलांट व 1/2 रेस्पो0 का मौके पर चला आ रहा है अपीलांट के चाचा (छोग सिंह) की मृत्यु हो जाने पर ग्राम पंचायत सामी द्वारा बिना जांच किये व अपीलांट के पिता को सुनवाई का अवसर दिये बिना व छोग सिंह के वारिसों की जांच किये बिना मृत्यु के पश्चात् बाला बाला चुनौतीग्रस्त ना.करण तस्दीक कर दिया गया जबकि रेस्पो. सं. 1 कानूनन जायंदा वारिस हनुमान सिंह का है हनुमान सिंह के फौत होने पर उनकी संपूर्ण भूमियों में बतौर वारिस के रूप में विरासत का ना.करण दर्ज हुआ है परन्तु ग्राम सामी सरपंच से मिलकर गुप चुप में स्व. छोग सिंह का अकेला वारिस बनकर चुनौतीग्रस्त ना.करण तस्दीक करा लिया जिसके खिलाफ अपील निम्न आधारों पर सादर प्रस्तुत है–

1. चुनौतीग्रस्त ना.करण सं. 219 ग्राम पंचायत सामी रिकार्ड व तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है।
2. चुनौतीग्रस्त ना.करण सं. 219 ग्राम पंचायत सामी न्याय शास्त्र के सिद्धान्तों के विपरीत होने से खारिज होने योग्य है।
3. चुनौतीग्रस्त ना.करण सं. 219 ग्राम पंचायत सामी के पटवारी द्वारा भरे गये ना. करण में स्व. छोग सिंह की मृत्यु का कोई उल्लेख नहीं है तथा ग्राम पंचायत का ना ही प्रस्ताव कब लिया, कितनी तारीख को प्रस्ताव लेकर ना.करण भरा गया, कोई उल्लेख नहीं होने से कानूनन ना.करण विपरीत होने से खारिज किये जाने योग्य है।
4. चुनौतीग्रस्त ना.करण सं. 219 ग्राम पंचायत सामी अपीलांट के पिता स्व. हरि सिंह को सुनवाई का अवसर दिये बिना तथा स्व. छोग सिंह के वारिसों की जांच किये बिना ग्राम पंचायत सामी के सरपंच से रेस्पो. सं. 1 ने मिलकर बाला बाला गलत ना.करण अकेले के नाम करवा लिया जो खारिज होने योग्य है।

उप खण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़

Scanned by CamScanner

5. चुनौतीग्रस्त ना.करण सं0 219 ग्राम पंचायत सामी के सरपंच ने अपीलांट के पिता स्व. हरि सिंह मृतक खातेदार छोग सिंह के प्रथम श्रेणी के वारिस होने के कारण स्व. छोग सिंह की खातेदारी की कृषि भूमियों के विरासतन उतराधिकारी के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी थे, चुनौतीग्रस्त ना. करण से अपीलांट के हक प्रभावित हुए है इस कारण चुनौतीग्रस्त ना.करण खारिज होने योग्य है।

6. अपीलांट का सजरा खानदान इस प्रकार से है–

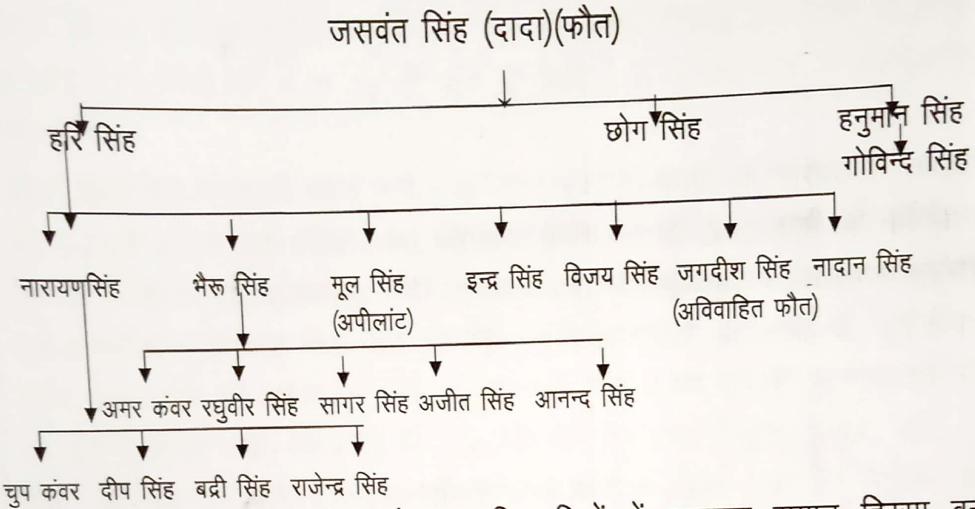

इन सभी का उपरोक्त पैतृक कृषि भूमियों में कानूनन समान हिस्सा बनता है इसलिए अपील ना.करण निरस्त किये जाने योग्य है। सरपंच, ग्राम पंचायत, सामी द्वारा ना. करण नियमों के विरूद्ध भरा गया है। सरपंच द्वारा रेस्पो. के कब्जे के बारे में किसी भी प्रकार की सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई। रेस्पो. सं. 1 से मिलकर बाला बाला बिना प्रस्ताव लिये तथा ना ही प्रस्ताव कितनी तारीख को लिया गया तथा ना ही ग्राम पंचायत के पंचों को कोई प्रस्ताव लिया गया। सरपंच, ग्राम पंचायत सामी ने अपीलाधीन ना.करण ग्राम पंचायत के सम्मुख रखे बिना बाला बाला कार्यवाही कर अपीलांट को नुकसान पहुंचाने की नियत से तस्दीक कर दिया जो नियमानुसार अपीलांट को सूचना दिये बिना भरा गया। दिनांक 06.5.16 को अपीलांट अपनी वादग्रस्त कृषि भूमि को सांय करीब 5.00 बजे संभालने के लिए गया तो गोविन्द सिंह पुत्र श्री हनुमानसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम सामी तहसील दांतारामगढ ने मौके पर आकर कहा कि तुम यहां क्या कर रहे हो, जिस पर अपीलांट ने उतर दिया कि वह अपनी कृषि भूमि को संभालने के लिये आया है, अपीलांट का उंतर सुनकर गोविन्द सिंह आग बबूला हो गया और उसने अपीलांट को कहा कि तुम्हारी यहां पर कोई जमीन नहीं है, मैंने स्व. छोगसिंह की मृत्यु के पश्चात् मैंने तुम्हारे पिता के नाम से ना दर्ज करवाकर अपने अकेले के नाम से ही ना.करण तस्दीक करवा लिया है। तुम्हारा इस जमीन से कोई लेना देना नहीं है, इस पर दूसरे दिन ही अपीलांट ने तहसील कार्यालय में जाकर अपने सर्वाधिकारी के माध्यम से ना.करण की जानकारी प्राप्त की तथा

उप खण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़

Scanned by CamScanner

अगले दिन दिनांक 08.5.16 को उक्त ना.करण की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर दिनांक 11.5.16 को प्रमाणित प्रति प्राप्त हुई। इस प्रकार जानकारी की तिथि से अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत है। दिनांक 08.5.16 के पूर्व ना.करण जैर अपील की अपीलांट को कोई जानकारी नहीं है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर चुनौतीग्रस्त ना.करण सं. 219 ग्राम पंचायत सामी को निरस्त किया जाकर मृतक छोगसिंह के समस्त वारिसान की जांच कर विरासत ना.करण तस्दीक किये जाने का आदेश फरमावें।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पो. सं. 14 बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। रेस्पो. सं. 1 ता 13 की ओर से वकील श्री आनन्द राड़ ने वकालतनामा पेश किया गया।

3. बहस उभय पक्ष की सुनी गई। वकील अपीलांट्स ने बहस के दौरान अपील मेमो के तथ्यों को दोहराते हुए अपील स्वीकार कर विवादित ना.करण सं. 219 द्वारा ग्राम पंचायत, सामी निरस्त फरमाया जावें। वकील रेस्पो. ने बहस के दौरान कोई एतराज व्यक्त नहीं कर अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

4. हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। ना.करण सं. 219 दिनांक 05.5.1975 द्वारा सरपंच, ग्राम पंचायत, सामी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर द्वारा तस्दीक किया गया है। विलम्ब को क्षमा किये जाने हेतु आवेदन मियाद अधिनियम का पेश नहीं किया गया है। वकील अपीलांट द्वारा किस हैसियत से अपील पेश की गई है, स्पष्ट नहीं है क्योंकि अपीलांट मूलसिंह हरिसिंह का पुत्र है। अपील मेमो के साथ न तो मृतक छोगसिंह का मृत्यु प्रमाण पत्र पेश किया है न ही छोगसिंह के वारिस प्रमाण पत्र पेश किया है। ना.करण के सम्बन्ध में तत्कालीन समय में आपति हरिसिंह या हनुमान सिंह द्वारा की जानी चाहिए थी जबकि उनके द्वारा अपने जीवनकाल में कोई आपति उक्त ना.करण के सम्बन्ध में नहीं की गई है। अपीलांट द्वारा अपील अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर पेश की गई है। पटवारी हल्का द्वारा कालम सं. 15 में दिनांक 04.5.1975 को अंकन किया है कि छोगसिंह की मृत्यु हुए 4 वर्ष हो चुके है अतः इंतकाल वारिस के नाम भरकर पेश है जिसकी जांच भूअनि द्वारा दिनांक 04.5.1975 को की जाकर सरपंच, ग्राम पंचायत, सामी द्वारा दिनांक 05.5.1975 को सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं है। अतः अपील अपीलांट खारिज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

5. यह निर्णय आज दिनांक 11.02.2017 को मेरे द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत शिविर में लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यवीर यादव)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner